UPGK010097582025

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

उपस्थितः राज कुमार सिंह, उच्चतर न्यायिक सेवा,

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या- 295/2025,

हरिकेश यादव पुत्र जवाहर यादव, निवासी- जंगल सरया बेलवरिया (जप्ती), थाना- गोला, जनपद- गोरखपुर। -------पुनरीक्षणार्थी/परिवादी।

प्रति

1- उत्तर प्रदेश सरकार,

2- सूर्यनारायण यादव पुत्र हरदेव यादव,

3- शिवनारायन यादव पुत्र हरदेव यादव,

4- कन्हैयालाल यादव पुत्र हरदेव यादव,

निवासीगण- जंगल सरया बेलवरिया (जप्ती), थाना- गोला, जनपद- गोरखपुर।

--------प्रतिपक्षीगण।

निर्णय

प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा- 438 के अन्तर्गत पुनरीक्षणार्थी/परिवादी हरिकेश यादव ने परिवाद संख्या- 40670/2025, हरिकेश यादव प्रति सूर्य नरायन यादव व अन्य, थाना- गोला, जनपद- गोरखपुर के प्रकरण में विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी- द्वितीय, गोरखपुर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 25.07.2025 के विरूद्ध संस्थित किया है। आक्षेपित आदेश के माध्यम से विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रतिपक्षीगण सूर्यनारायन, शिवनरायन व कन्हैया लाल को धारा- 435 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के अन्तर्गत जरिए सम्मन विचारणार्थ आहूत किया है।

02. इस दाण्डिक पुनरीक्षण से सम्बन्धित आवश्यक तथ्य इस प्रकार है कि पुनरीक्षणार्थी/परिवादी हरिकेश यादव द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष परिवाद इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि उसके बगल के रहने वाले हरदेव यादव से जमीनी विवाद रहता है और उसी रंजिश के कारण दिनांक 22/23.11.2019 को भोर में करीब 04:30 बजे उसके पड़ोसी सूर्यनारायन, शिवनरायन व कन्हैया लाल उसके छप्पर पर पैट्रोल डालकर आग लगा दिये। उस समय परिवादी अपने भाई के साथ झोपड़ी में सोया था। आग लगने के कारण परिवादी व उसका भाई जाग गये, तो देखा कि उपरोक्त लोग आग लगाकर भागते हुए अपने घर में घुस गये। आग लगने से उसकी एक गाय झुलस गयी तथा परिवादी के भाई का हाईस्कूल का अंकपत्र, चारपाई व कुछ अन्य सामान तथा 1000/–रूपया जल

गया। उसके द्वारा घटना की सूचना थाने दी गयी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, तब उसके द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को जरिये रजिस्ट्री सूचना दी गयी।

03. पुनरीक्षणार्थी/परिवादी हरिकेश यादव ने अपने कथनों के समर्थन में स्वयं को धारा–200 दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा चन्द्रकेश यादव व राम कृपाल को धारा–202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परीक्षित कराया है।

04. विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी– द्वितीय, गोरखपुर द्वारा दिनांक 25.07.2025 को पुनरीक्षणार्थी/परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् सूर्यनारायन, शिवनरायन व कन्हैया लाल को धारा- 435 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत जरिये सम्मन आहूत किया गया है।

05. उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर पुनरीक्षणार्थी/परिवादी द्वारा यह पुनरीक्षण संस्थित किया गया है, जिसमें मुख्य आधार यह लिया गया है कि समस्त साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिपक्षीगण को धारा– 435 भारतीय दण्ड संहिता में आहूत किया गया है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है तथा न्यायिक विवेक का प्रयोग किये बिना पारित किया गया है। जिस स्थान पर आग लगाया गया था, वह सम्पत्ति की अभिरक्षा, मानव विकास के रूप में एवं गृह के परिभाषा के अन्तर्गत आता है। अतः प्रस्तुत पुनरीक्षण को स्वीकार करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 25.07.2025 को आपास्त करते हुए समुचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया गया है।

06. प्रतिपक्षीगण संख्या- 2 लगायत 4 द्वारा आपत्ति 9 ख प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि पुनरीक्षणार्थी/परिवादी द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र पोषणीय नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित सन्दर्भित आदेश विधि सम्मत नहीं है। पुनरीक्षणार्थी/परिवादी द्वारा किये गये कथन व साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर धारा- 435 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध आयत ही नहीं होता है, फिर ऐसी दशा में पुनरीक्षणार्थी/परिवादी धारा- 436 भारतीय दण्ड संहिता बढ़ाये जाने का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि पुनरीक्षणार्थी/परिवादी जिन साक्ष्यों के आधार पर धारा- 435 भारतीय दण्ड संहिता में प्रतिपक्षीगण को न्यायालय द्वारा तलब कराया है, वह पूर्णतया त्रुटिपूर्ण व विधि व्यवस्था का ही उल्लंघन है। अतएवं प्रार्थना-पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट- द्वितीय, गोरखपुर द्वारा पारित तलबी आदेश दिनांकित 25.07.2025 को निरस्त करते हुए पुनरीक्षणार्थी/परिवादी का पुनरीक्षण निरस्त किये जाने का निवदेन किया है।

07. मैंने पुनरीक्षणार्थी/परिवादी के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक व विपक्षी संख्या- 2 के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को विस्तार पूर्वक सुना तथा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश एवम् प्रपत्रों का सम्यक् परिशीलन किया।

08. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्यों का परिशीलन कर प्रतिपक्षीगण/अभियुक्तगण सूर्यनारायन, शिवनरायन व कन्हैया लाल को धारा- 435 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत विचारणार्थ आहूत किया गया है। पुनरीक्षणार्थी/परिवादी की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि साक्ष्यों के आधार पर धारा- 436 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अभियुक्तगण सूर्यनारायन, शिवनरायन व कन्हैया लाल को विचारणार्थ आहूत करना चाहिए था। पुनरीक्षण न्यायालय को पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा- 397 दण्ड प्रक्रिया संहिता/438 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में विचारण न्यायालय के आदेश, जिनमे अपने में निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया गया हो या क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में विधिक गलती की गयी हो, उक्त आदेशो के विरूद्ध आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अपीलीय न्यायालय की तरह साक्ष्यों का पुर्नपरिशीलन कर पुर्ननिष्कर्ष पर पहुॅचने का अधिकार नहीं है। पुनरीक्षणार्थी/परिवादी आरोप के स्तर पर अथवा साक्ष्यों के उपरान्त अतिरिक्त धाराओ में आरोप विरचित करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 25.07.2025 में प्रकटतः कोई अवैधानिकता एवं अनियमितता परिलक्षित न होने के कारण उक्त आदेश में हस्तक्षेप किये जाने की कोई न्यायोचित आवश्यकता नहीं है।

09. सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत दाण्डिक पुनरीक्षण आधारहीन एवं बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या- 295/2025, हरिकेश यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य निरस्त किया जाता है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 25.07.2025 पुष्ट किया जाता है।

निर्णयादेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित किया जाय।

पक्षकार विचारण न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 23.04.2026 को उपस्थित हों।

दिनांक/गोरखपुर
17 अप्रैल, 2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O Code- UP1889

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनांकित करने के बाद खुले न्यायालय में उदघोषित किया गया।

दिनांक/गोरखपुर
17 अप्रैल, 2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O Code- UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.04.17 16:03:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court